कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–929/ 1966 रायपुर, दिनांक 18 /08/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT KANKER द्वारा Establishment of Eklavya Model Residential School, At Village Bhandardigi, Tehsil-Durgkondal, District- North Bastar, Kanker (C.G.) हेतु क्षेत्रफल 4.83 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत।**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/SCH/153611/2022**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर का पत्र क्रमांक /मा. चि./2050 दिनांक 22.07.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा रकबा 4.83 हे. वन भूमि में **Eklavya Model Residential School** निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव में नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई है जो निम्नानुसार हैः–

आनलाईन त्रुटियां :–

1. Form A Part-II के कालम न. 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land) में प्रपत्र–3 निर्धारित कॉलम में अपलोड करावें।
2. Form A Part-II के कालम न. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV)) में भाग–2 अपलोड नहीं है। डाऊनलोड करने पर Error show हो रहा है। पुनः अपलोड़ करें।
3. वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 के कॉलम न. 12(i) में भौगोलिक क्षेत्रफल – 6433.740 वर्ग कि.मी. आनलाईन Form A Part-II के कालम न. 14 District Profile में Geographical area of the district (in ha.) - 663374.00 उल्लेख किया गया। सुधार कर अपलोड करें।
4. Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का सत्यापित डी.जी.पी.एस रिपोर्ट अपलोड नहीं है। अपलोड़ करावें।

ऑफ लाईन त्रुटियां :–

1. चेक लिस्ट – 1 वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है जबकि उसमें आवेदक विभाग का हस्ताक्षर भी आवश्यक है।
2. चेक लिस्ट –07 – प्रपत्र–4 के बिन्दु क्रमांक – 4 के IV एवं बिन्दु क्रमांक 6 के III एवं V में पेज क्रमांक अंकित नहीं किया गया है।

3. चेक लिस्ट क्रमांक – 15 में वन मंडलाधिकारी के पत्र दिनांक 01.07.2022 द्वारा गैर वन भूमि के आस–पास की नक्शा पृ. क्रमांक 119 से 112 में संलग्न होना दर्शाया गया है तथा प्रस्ताव में 44 बिन्दु चेक लिस्ट संलग्न किया गया है उसमें पृष्ठ क्रमांक अंकित नहीं है एवं मूल प्रति में पृष्ठ क्रमांक 126 से 130 पेन्सिल से अंकित किया गया है जिससे विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है। अतएव चारो प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रत्येक प्रस्ताव एक समान रूप से तैयार किया जावे तथा प्रस्तावों में पृष्ठ क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।

4. चेक लिस्ट – 26 भाग – 01 में आवेदक विभाग द्वारा दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं किया गया है।

5. आवेदित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस की सी.डी. प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति हेतु प्रकरण ई.डी.एस किया जा रहा है। सुधार कराकर प्रेषित करें।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 04 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–929/ 1967 रायपुर, दिनांक 18/08/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **सहायक आयुक्त**, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़